लापरवाही पर बीएलओ से पूछा जायेगा शो-कॉज

- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत प्राप्त प्रपत्रों की संख्या पर असंतोष

प्रतिनिधि ▷ औरंगाबाद शहर

जिले में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में रूचि नहीं लेने वाले बीएलओ से स्पष्टीकरण पूछा जायेगा. स्पष्टीकरण पूछते हुए अपने रवैये में सुधार लाने का एक मौका दिया जायेगा. यदि इसके बावजूद बीएलओ की कार्यशैली में सुधार नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने इससे संबंधित निर्देश सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों को दिया है. उप निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की. इस दौरान पाया कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक प्राप्त प्रपत्रों की संख्या संतोषजनक नहीं हैं. सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों को इसमें तेजी जाने का निर्देश दिया. वहीं लापरवाह बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही. बता दें कि जिले में 16 दिसंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो 15 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर जुड़वाया जा सकता है. नया वोटर कार्ड बनवाया जा सकता है. इसके लिए बेहतर मौका है. लोग इसके लिए अपने स्थानीय प्रखंड, अनुमंडल, जिला निर्वाचन शाखा, अपने बूथ के बीएलओ को विहित प्रपत्रों में अपना आवेदन दे सकते हैं.

एक हफ्ते में होगा भुगतान: बैठक के क्रम में जिले के दो-तीन प्रखंडों में बीएलओ का मानदेय का भुगतान नहीं होने का मामला सामने आया. इसपर उप निर्वाचन पदाधिकारी ने दिसंबर 2019 तक का बकाया मानदेय एक सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है. कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गयी. जिले के सांसद, विधायक, एमएलसी व उनके परिवार या प्रमुख व्यक्तियों के नामों का सत्यापन भी करने का निर्देश दिया. इसके अलावा जिले के मतदान केंद्रों के साथ-साथ कॉलेजों व हाई स्कूलों में गठित निर्वाचन साक्षरता क्लबों को सक्रिय करने का निर्देश दिया. ताकि क्लब गठन का उद्देश्य पूरा हो सके.

प्रखंड नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक करते उप निर्वाचन पदाधिकारी.

राजनीतिक दलों से मांगा जायेगा सहयोग

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर राजनीतिक दलों की बैठक होगी. इसके बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों से सहयोग मांगा जायेगा. साथ ही सभी बूथों पर बीएलए की नियुक्ति शीघ्र करने को कहा जायेगा. यही नहीं यदि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का नाम दो जगह पर अंकित है तो एक जगह से विलोपित किया जायेगा. लंबे समय से नहीं रहने वाले लोगों का नाम भी मतदाता सूची से हटाया जायेगा. उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष संक्षित पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है.